रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 1976/माघ 20, 1897

No. 33] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 1976/MAGHA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th February 1976

No. DRAWBACK/PN-15/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN- dated the 15th October, 1971 :—

For item (ii) of sub-serial No. 3615 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Description of goods	Rate of drawback
(ii) Galvanised	Rs. 974·85 (Rupees nine hundred seventy four and paise eighty five only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-15/76.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपशीर्षक 3615 की मद (ii) तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
(ii)	जस्तीकृत	974.85 रु० (केवल नौ सौ चौहत्तर रुपये पचासी पैसे) प्रति मिट्रिक टन।

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1976 के प्रथम दिन से लागू हुई मानी जायगी।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th February 1976

No. DRAWBACK/PN-16/76.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN 10/76 dated 14-1-1976, published in Part I, Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, the Central Government hereby makes the following correction therein :—

For the words "Meat Pulao" read "Meat products".

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-16/76.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1 खंड (i) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू० 10/76, दिनांक 14-1-1976 में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शुद्धि करती है :—

'मीट पुलाव' शब्दों के स्थान पर 'मीट उत्पाद' पढ़ियें।

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 9th February 1976

No. DRAWBACK/PN-17/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes

the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For sub-serial No. 4613 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub-S. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
4613	Electric Fans—	
	(i) Ceiling fans complete (with aluminium blades)—	
	(a) 56″ Sweep and 60″ Sweep fans.	Rs. 39·54 (Rupees thirty nine and paise fifty four only) per unit.
	(b) 48″ Sweep fans.	Rs. 32·82 (Rupees thirty two and paise eighty two only) per unit.
	(c) 42″ and 36″ Sweep fans.	Rs. 27·28 (Rupees twenty seven and paise twenty eight only) per unit.
	(ii) Ceiling fans complete (with other than aluminium blades)—	
	(a) 56″ Sweep and 60″ Sweep fans.	Rs. 31·65 (Rupees thirty one and paise sixty five only) per unit.
	(b) 48″ Sweep fans.	Rs. 26·26 (Rupees twenty six and paise twenty six only) per unit.
	(c) 42″ and 36″ Sweep fans.	Rs. 21·83 (Rupees twenty one and paise eighty three only) per unit.
	(iii) Ceiling fans without regulators (with aluminium blades)—	
	(a) 56″ Sweep and 60″ Sweep fans.	Rs. 36·54 (Rupees thirty six and paise fifty four only) per unit.
	(b) 48″ Sweep fans.	Rs. 29·82 (Rupees twenty nine and paise eighty two only) per unit.
	(c) 42″ and 36″ Sweep fans.	Rs. 24·28 (Rupees twenty four and paise twenty eight only) per unit.
	(iv) Ceiling fans without regulators (with other than aluminium blades)—	
	(a) 56″ Sweep and 60″ Sweep fans.	Rs. 28·65 (Rupees twenty eight and paise sixty five only) per unit.
	(b) 48″ Sweep fans.	Rs. 23·26 (Rupees twenty three and paise twenty six only) per unit.
	(c) 42″ and 36″ Sweep fans.	Rs. 18·83 (Rupees eighteen and paise eighty three only) per unit.
	(v) Ceiling fans without regulators, blades down rods and canopy—	
	(a) 56″ Sweep and 60″ Sweep fans.	Rs. 26·00 (Rupees twenty six only) per unit
	(b) 48″ Sweep fans.	Rs. 21·50 (Rupees twenty one and paise fifty only) per unit.
	(c) 42″ and 36″ Sweep fans.	Rs. 18·00 (Rupees eighteen only) per unit.
	(vi) Table fans.	7·5% (Seven point five per cent only) of the f.o.b. value.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-17/76—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 4613 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
4613.	बिजली के पंखे—	
	(i) एल्यूमीनियम के पंख सहित छत के सम्पूर्ण पंखे	
	(क) 56″ तथा 60″ फैलाव के पंखे	39.54 रु० (केवल उनतालीस रुपये चौवन पैसे) प्रति पंखा
	(ख) 48″ फैलाव के पंखे	32.82 रु० (केवल बत्तीस रुपये बयासी पैसे) प्रति पंखा
	(ग) 42″ और 36″ फैलाव के पंखे	27.28 रु० (केवल सत्ताइस रुपये अठ्ठाईस पैसे) प्रति पंखा
	(ii) छत के सम्पूर्ण पंखे (एल्यूमीनियम के पंखों से भिन्न पंखों सहित)	
	(क) 56″ और 60″ फैलाव वाले पंखे	31.65 रु० (केवल इकतीस रुपये पैंसठ पैसे) प्रति पंखा
	(ख) 48″ फैलाव वाले पंखे	26.26 रु० (केवल छब्बीस रुपये छब्बीस पैसे) प्रति पंखा
	(ग) 42″ और 36″ फैलाव वाले पंखे	21.83 रु० (केवल इक्कीस रुपये और तिरासी पैसे) प्रति पंखा

1	2	3
(iii)	रेगुलेटर के छत के पंखे (एल्यूमिनियम के पंखे सहित)	
	(क) 56″ और 60″ फैलाव वाले पंखे	36.54 रु० (केवल छत्तीस रुपये चौवन पैसे) प्रति पंखा
	(ख) 48″ फैलाव वाले पंखे	29.82 रु० (केवल उनतीस रुपये बयासी पैसे) प्रति पंखा
	(ग) 42″ और 36″ फैलाव वाले पंखे	24.28 रु० (केवल चौबीस रुपये अठाईस पैसे) प्रति पंखा
(iv)	बिना रेगुलेटर के पंखे—(एल्यूमीनियम के पंखों से भिन्न पंखों सहित)	
	(क) 56″ और 60″ फैलाव वाले पंखे	28.65 रु० (केवल अठाईस रुपये पैंसठ पैसे) प्रति पंखा
	(ख) 48″ फैलाव वाले पंखे	23.26 रु० (केवल तेईस रुपये छब्बीस पैसे) प्रति पंखा
	(ग) 42″ और 36″ फैलाव वाले पंखे	18.83 रु० (केवल अठारह रुपये तिरासी पैसे) प्रति पंखा
(v)	रेगुलेटर, ब्लेड, नीचे की ओर लटकाने वाली छड़ों और कैनापी रहित छत के पंखे	
	(क) 56″ और 60″ फैलाव वाले पंखे	26.00 रु० (केवल छब्बीस रुपये) प्रति पंखा
	(ख) 48″ फैलाव वाले पंखे	21·50 रु० (केवल इक्कीस रुपये पचास पैसे) प्रति पंखा
	(ग) 42″ और 36″ फैलाव वाले पंखे	18·00 रु० (केवल अठारह रुपये) प्रति पंखा
(vi)	मेज के पंखे	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 7·5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत)

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1976 के प्रथम दिन से लागू हुई मानी जायगी ।

No. DRAWBACK/PN-18/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For sub-serial No. 5004 and the entries relating there to, the following shall be substituted :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
5004	(i) Bicycle complete, of the size 18" and above, assembled or unassembled (including accessories) NOS.	12% (Twelve per cent only) of the FOB value subject to the minimum of Rs. 22/- (Rupees twenty two only) per bicycle and maximum of Rs. 25/- (Rupees twenty five only) for bicycle.
	(ii) Components, spare parts, and accessories of bicycles other than bicycles spokes, nipples, washers, chains, rim linars, saddle covers (made of leather), rubber portion of pedals, tools and tool boxes, cycle pumps, tyres and tubes.	12% (Twelve per cent only) of FOB value.

This public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०/18/76.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70–प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति-अदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 5004 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
5004 (i)	18 इंच और उससे ऊपर के आकार की सम्पूर्ण बाइसिकल, जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हैं, चाहे वे संयोजित हों अथवा असंयोजित हों (जिसमें उपांग भी शामिल हैं)	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 12 प्रतिशत (केवल बारह प्रतिशत) बशर्ते कि न्यूनतम 22/– रुपये (केवल बाईस रुपये) प्रति बाइसिकल हो और अधिकतम 25/– रुपये (केवल पच्चीस रुपये) प्रति बाइसिकल हो।
(ii)	बाइसिकल के स्पोकों, निप्पलों, वाशरों, चेनों, रिम लाइनरों, गद्दी के कवरों (चमड़े से बने) पैडलों के रबड़ के भाग औजार तथा औजार के बक्सों, साइकिल पम्पों, टायरों तथा ट्यूबों से भिन्न बाइसिकल के संघटक, फालतू पुर्जे तथा उपांग।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 12 प्रतिशत (केवल बारह प्रतिशत)

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1976 के प्रथम दिन को लागू हुई समझी जायगी।

CORRIGENDUM

New Delhi, 9th February 1976

No. DRAWBACK/PN-19/76.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN—53/75 dated the 16th June, 1975, published in Part I, Section (i) of the Gazette of India, Extra-ordinary, the Central Government hereby makes the following corrections therein :—

I. For the words "exceeding 65 gms" appearing against item (a) of sub-serial No. 2419 *Read* "exceeding 65 gms, per square Metre".

II. For the words "65 gms or less" appearing against item (b) of Sub-serial No. 2419 *Read* "65 gms or less, per Square Metre".

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू० 19/76.—केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 1, खण्ड (i) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-53/75, दिनांक 16 जून, 1975 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

I. उप-क्रमांक 2419 की मद (क) के सामने आने वाले "65 ग्राम से अधिक वाले" शब्दों के स्थान पर "65 ग्राम प्रतिवर्ग मीटर से अधिक वाले" शब्द पढ़ें ।

II. उप-क्रमांक 2419 की मद (ख) के सामने आने वाले "65 ग्राम या इससे कम वाले" शब्दों के स्थान पर "65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर या इससे कम वाले" शब्द पढ़ें ।

सी० भुजंगस्वामी, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976